फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री रमेशचंद्र पिता पदमाराम बलाई निवासी पलासियो का बाड़िया सारोठ प. समिती भीम जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द
– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 39/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक सू0अ,05/2023/485–486 दिनांक 04.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 एवं 2 की सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से नहीं होकर प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, जिला राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 210–211 दिनांक 16.03.2023 से संबंधित अनुभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठांकित की जाकर डाक प्रेषित की गई है। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा राजसमन्द के पत्रांक 1915 दिनांक 24.03.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 01 की सूचना का संधारण इस कार्यालय में नहीं है एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना भू–अभिलेख अनुभाग में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार कर दी गई है उक्त सूचना हेतु प्रार्थी को पत्रांक 1914 दिनांक 24.03.2023 से शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक 438 दिनांक 20.06.2023 से प्रार्थी अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना की सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराया कि संधारित कार्यालय से प्राप्त करने का श्रम करें। एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में प्रभारी	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भू–अभिलेख अनुभाग में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार है, शुल्क राशि अदा कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होने से संधारित कार्यालय से प्राप्त करने का श्रम करें। बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध रेकार्ड के आधार तैयार होने से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध कार्यालय तहसीलदार भीम से होने से तहसीलदार भीम को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को भी निर्देशित किया जाता हैं कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना नियमानुसार कार्यालय तहसीलदार भीम से प्राप्त करें तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार होने से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)